न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1, चन्दौली।

विद्युत वाद संख्या : 149 सन् 2019

राज्य बनाम सरवर अली।

मु.अप.सं. : 533 सन् 2019

धारा : 138(1-बी) विद्युत अधिनियम

थाना : मुगलसराय जनपद : चन्दौली।

आरोप

मैं, जगदीश प्रसाद-V, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चन्दौली आप अभियुक्त **सरवर अली** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ :-

यह कि किसी तिथि व समय पर स्थान ग्राम नाथूपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली में उपभोक्ता सरवर अली के बकाया विद्युत बिल जमा न किये जाने के कारण विद्युत विच्छेदित कर दिया गया। पुनः दिनाँक 23.09.2019 को समय करीब 14.15 बजे विद्युत चेंकिग अभियान के तहत कमर फारुख, उपखण्ड अधिकारी द्वारा सन्तोष कुमार, अवर अभियन्ता एवं विद्युत विभाग के कर्मियों द्वारा विच्छेदित विद्युत कनेक्शन की जाँच किया गया तो आपके द्वारा विद्युत विच्छेदित किये जाने के बावजूद बिना बकाया भुगतान किये व बिना विभाग से अनुमति प्राप्त किये पुनः उक्त संयोजन को जोड़कर विद्युत का उपयोग करते हुए पाया गया। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा 138(1-बी) भररतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त विरचित आरोप के अन्तर्गत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक : 30.09.2021,

(जगदीश प्रसाद-V)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
चन्दौली।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त ने आरोप सुनकर दोषी न होने का अभिवाक किया और विचारण की मांग की।

दिनाँक : 30.09.2021,

(जगदीश प्रसाद-V)
J.O.Code U.P. 5874
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
चन्दौली।

Digitally signed by Jagdish Prasad
Date: 2021.09.30 22:10:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court